

18-01-2024

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी के वकील उपस्थित। प्रत्यर्थी संख्या 1, 2 व 4 से 6 के वकील उपस्थित। परोकार सरकार उपस्थित। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम विरुद्ध अप्रार्थीगण आज निर्णित होकर खारिज हो चुका है। अतः अपील अपीलार्थी अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध प्रत्यर्थीगण मियाद बाहर होने से खारिज की जाती है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो एवं मूल अपील पत्रावली के साथ संलग्न की जावे।

अति. जिला कलेक्टर  
सिरोही (राज.)

